राजस्थान सरकार

निदेशालय, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ.18(आई–66)आईडब्ल्यूएमपी/निजभूस/2010–11/१९५–१३२१ दिनांकः 13-3-12

–: कार्यालय आदेश :–

राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी की चतुर्थ बैठक दिनांक 22.02.2012 में लिये गये निर्णय की अनुपालना में एकीकृत जलग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम (IWMP) अन्तर्गत सम्पादित किये जाने वाले जलग्रहण कार्यों हेतु मशीनों के उपयोग की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाती है :–

1. सर्वप्रथम परियोजना प्रबन्धक द्वारा जलग्रहण कार्यों हेतु उपयोग में लाई जाने वाली मशीनों का चिन्हिकरण कर, प्रत्येक मशीन हेतु दर का निर्धारण एवं अनुमोदन ग्रामीण कार्य निर्देशिका–2010 के अनुच्छेद संख्या 8 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप करवाकर अनुमोदित दरों को जिला दर अनुसूची में सम्मिलित करवाया जायेगा।

2. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में परियोजना हेतु वार्षिक कार्य योजना (Annual Action Plan) तैयार की जायेगी, जिसमें उन सभी कार्यों का कारण सहित स्पष्ट अंकन हो, जिनमें मशीनों के उपयोग की आवश्यकता है। मशीनों के उपयोग से सम्पादित किये जाने वाले समस्त कार्यों का विस्तृत तकमीना भी वार्षिक कार्य योजना के साथ संलग्न किया जायेगा।

3. वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन सम्बन्धित ग्रामसभा के स्तर से प्राप्त किया जायेगा। ग्रामसभा से अनुमोदित प्रस्ताव परियोजना प्रबन्धक को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जायेंगे, जिनके द्वारा कार्यों पर मशीनों के उपयोग के प्रस्ताव का विश्लेषण करने के उपरान्त मशीनों का उपयोग उचित पाये जाने पर स्वीकृति दी जायेगी। परियोजना प्रबन्धक द्वारा स्वीकृति प्रदान करने के उपरान्त सम्बन्धित उप समिति (जलग्रहण) द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के अनुरूप कार्य सम्पादन हेतु मशीनों का उपयोग किया जा सकेगा।

4. परियोजनान्तर्गत जिन कार्यों का सम्पादन महात्मा गांधी नरेगा के साथ कन्वर्जेन्स द्वारा सम्पादित किया जाना है, उन कार्यों में से ऐसे कार्य, जिन्हे मानव श्रम से किया जाना सम्भव नहीं है, को ही मशीनरी के द्वारा सम्पादित करवाया जा सकेगा। परन्तु मशीन से कार्य कराने से पूर्व मानव श्रम से होने वाले कार्य को पूर्ण कर उससे सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा मजदूरी का पूर्ण भुगतान कर दिया जायेगा तथा इसका लेखा संधारण पृथक से किया जायेगा। इसी प्रकार मशीनरी से कराया जाने वाला कार्य पृथक से सम्पादित किया जायेगा और इसका लेखा एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र पृथक से संधारित किया जायेगा। उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराया जाना अति आवश्यक है, जिससे कि मानव श्रम से किये गये कार्य एवं मशीन से किये गये कार्य सुस्पष्ट हो एवं दोनों का ही पृथक–पृथक लेखा संधारित हो सके। ऐसे कार्य, जिन्हे मानव श्रम से कराया जा सकता है, में मशीनों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा।

71/C

5. जिन कार्यों हेतु मशीनों का उपयोग किया जाना है, उन सभी कार्यों के कार्यस्थल की कार्य सम्पादन से पूर्व, कार्य सम्पादन के दौरान एवं कार्य सम्पादन के पश्चात के फोटो एवं रिकार्ड पृथक से संधारित किये जावें एवं पारदर्शिता हेतु कार्यों पर योजना, लागत एवं कार्यस्थल का खसरा नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख करते हुए नियमानुसार बोर्ड लगवाये जावें।

उक्त स्वीकृति एकीकृत जलग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्पादित किये जाने वाले जलग्रहण कार्यों हेतु ही प्रभावी होगी।

उक्त शर्तों की अनुपालना कड़ाई से सुनिश्चित की जावें।

अतिरिक्त मुख्य सचिव,
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

क्रमांक: एफ.18(आई–66)आईडब्ल्यूएमपी / निजभूस / 2010–11 / 995 - 1339 दिनांक: 13-3-12

प्रतिलिपि :–
1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राज. जयपुर।
3. समस्त जिला कलक्टर (श्रीगंगानगर के अतिरिक्त)
4. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (श्रीगंगानगर के अतिरिक्त)
5. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय, जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक (प्रशासन / एमआईईएस), निदेशालय, जयपुर।
7. उपनिदेशक (IWMP-I,II,III,IV,V,VI,VII) / परियोजना अधिकारी (भू–संसाधन), निदेशालय, जयपुर।
8. समस्त परियोजना प्रबन्धक, वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर, जिला परिषद (श्रीगंगानगर के अतिरिक्त)
9. लेखाधिकारी समस्त, जिला परिषद (श्रीगंगानगर के अतिरिक्त)
10. समस्त परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सी एवं सहायक अभियन्ता, पंचायत समिति,
11. ए.सी.पी., मुख्यालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।

निदेशक